सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद पत्र स0 212/2016

जसवन्त कुमार पुत्र मोहनलाल जाति हरिजन निवासी जूनियां तहसील केकडी जिला अजमेर

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी तह.केकडी जिला अजमेर

---प्रतिवादी

.

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,209 राज. काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 136

पीठासीन अधिकारीः–श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)

निर्णय

दिनांक 09.05.2018

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 **केम्प जूनियां** में पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने जरिये अधिवक्ता एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम जूनिया** तहसील **केकडी** की वर्किंग जमाबन्दी के खसरा नम्बर 1012/13 रकबा 5.–00–00 हाल खसरा नम्बर 1978 रकबा 2.54 है.किस्म बारानी 3 उक्त आराजीयात में से 0.81 हैं. आवंटित हो गयी है। उक्त आवंटन आदेश दिनांक 7.7.1987 को आवंटन कमेटी की ग्राम पंचायत जूनियां में वादी को आवंटित हुआ जिसका इन्द्राज दिनांक 15.6.1989 को वादी का नाम इन्द्राज कर दिया गया था। वादी आवंटन के समय से ही उक्त आराजी पर काबिज व काश्त है। उक्त आराजीयात पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॅार्ड में नवीन आधारभूत जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जावें। वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण प्रतिवादी के वाद उत्पन्न करने के कारण से हुआ है। उक्त आराजीयात पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॅार्ड में नवीन आधारभूत जमाबन्दी में वादी का नाम दर्ज किया जाने का निवेदन किया है।

हमने प्रार्थी के वाद पत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया । पत्रावली में प्राप्त जवाब सरकार दिनांक 12.5.17 के अनुसार सरकार जवाब में ग्राम जूनियां की वर्किंग जमबान्दी संवत 2041 के खाता स. 1 पर आवंटन आदेश दिनांक 16.7.1987 से खसरा नम्बर 1012/12रकबा 5 बीघा भूमि जसवन्त कुमार पि0 मोहनलाल हरिजन के नाम आंवटन दर्ज है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 1978 रकबा 2.54 है. गत खसरा नम्बर 1012/13मि.रकबा 0.81 खसरा नम्बर 1012/12 मि. रकबा 1.73 से बना है। वर्तमान में जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता स. 1 में हाल खसरा नम्बर 1978 रकाब 2.54 किस्म बारनी 2 सिवायचक दर्ज है। मौका देखने पर मौका अनुसार मौके पर आंवटी जसवन्त कुमार पुत्र मोहनलाल हरिजन निवासी जूनियां का हाल खसरा नम्बर 1978 रकबा 2.54 है. में से रकबा 0.80 है. भूमि पर कब्जा डोल है। अर्थात फसल काश्त नहीं होकर कच्ची डोल लगाकर कब्जा है। मोके पर कब्जा काश्त नहीं होने एंव आंवटन शर्तो की पालना नहीं होने से वादी का वाद निरस्त योग्य है।

अतः *वाद पत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी,भू.अभि.निरी.,पटवारी हल्का जूनियां की जांच रिपोर्ट अनुसार हाल खसरा नम्बर 1978 रकबा 2.54 है. में से रकबा 0.80 है. भूमि पर कब्जा डोल है। अर्थात फसल काश्त नहीं होकर कच्ची डोल लगाकर कब्जा है। मोके पर कब्जा काश्त नहीं होने एंव आंवटन शर्तो की पालना नहीं होने से वादी का वाद निरस्त योग्य है। अतः वादी का वाद जवाब सरकार अनुसार निरस्त किया जाकर खारिज किया जाता है।*

आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प जूनियां में मजमें आम में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी